



(बिहार सरकार)
समाहरणालय, सीवान
(जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण कार्यालय, सीवान)

मोबाईल नं०- 9771349738
ई-मेल-
dwosiwan@gmail.com

09.05.2026

पत्रांक-195/ पि0व0, दिनांक-08.05.2026 ई0।

प्रेषक,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, सीवान।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय:- नामांकन सत्र 2026-27 में सिवान जिलान्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरुखी, सिवान में नामांकन हेतु सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नामांकन सत्र 2026-27 में सिवान जिलान्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरुखी, सिवान में नामांकन हेतु सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

08.05.26
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, सीवान।



समाहरणालय, सिवान।
(कल्याण प्रशाखा)

(नामांकन सूचना संख्या-01/2026-27)

जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरुखी, सिवान में नामांकन हेतु विज्ञापन

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु सिवान जिला अन्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरुखी, सिवान में छात्रों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिवान जिले में अवस्थित छात्रावास की विवरणी निम्नवत है-

क्र०	छात्रावास का नाम	कोटि	आवासन क्षमता	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरुखी, सिवान	अति पिछड़ा वर्ग	100	68 (अति पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन छात्रों के लिए 05 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगा।)

उक्त छात्रावास में उनके आवासन क्षमता एवं रिक्त स्थानों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन तिथि से 15 कार्य दिवस तक विभागीय पोर्टल (<https://bcebconline.bihar.gov.in>) पर ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, सिवान में संपर्क कर सकते हैं।

नामांकन की शर्तें:-

- चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन मार्गदर्शिका-2022) होगा।
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हो।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक सिवान जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो।
- अर्हता प्राप्त आवेदकों में गत वर्ष परीक्षा में उच्च प्राप्तांक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी।
- छात्रों का आवेदन केवल ई-कल्याण पोर्टल से ही मान्य होगा। वांछित कागजात ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- अभिभावक की अधिकतम आय तीन लाख से कम होनी चाहिए।


आवेदन की प्रक्रिया:-

- आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगा।

- आवेदक का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो दो प्रति में।
- Rtps नम्बर युक्त जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र।
- सिवान जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- विगत परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छाया प्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) एवं आधार सीडिंग बैंक खाता।
- चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अध्ययनरत संस्थान के प्राचार्य द्वारा Letter of Recommendation।

नोट:-आवेदक ऑनलाइन की प्रिंट कॉपी तथा सभी संलग्न कागजातों की छायाप्रति जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कार्यालय, सिवान में ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करे।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति का होगा।


08.05.26
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, सिवान।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

15-05-2026



समाहरणालय, सिवान

(कल्याण प्रशाखा)

नामांकन सूचना संख्या-01/2026-27

**जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास
पचरूखी, सिवान में नामांकन हेतु विज्ञापन**

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु सिवान जिला अन्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरूखी, सिवान में छात्रों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिवान जिले में अवस्थित छात्रावास की विवरणी निम्नवत है-

क्र०	छात्रावास का नाम	कोटि	आवासन क्षमता	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पचरूखी, सिवान	अति पिछड़ा वर्ग	100	68 (अति पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन छात्रों के लिए 05 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगा।)

उक्त छात्रावास में उनके आवासन क्षमता एवं रिक्त स्थानों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन तिथि से **15 कार्य दिवस** तक विभागीय पोर्टल (<https://bcebonline.bihar.gov.in>) पर ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को **02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न** तक जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, सिवान में संपर्क कर सकते हैं।

नामांकन की शर्तें:-

- चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन मार्गदर्शिका-2022) होगा।
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हों।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक सिवान जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हों।
- अर्हता प्राप्त आवेदकों में गत वर्ष परीक्षा में उच्च प्राप्तांक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जायेगी।
- छात्रों का आवेदन केवल ई-कल्याण पोर्टल से ही मान्य होगा। वांछित कागजात ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- अभिभावक की अधिकतम आय तीन लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया:-

- आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।

- आवेदक का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो दो प्रति में।
- Rtps नम्बर युक्त जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र।
- सिवान जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- विगत परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छाया प्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) एवं आधार सीडिंग बैंक खाता।
- चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अध्ययनरत संस्थान के प्राचार्य द्वारा Letter of RecommendationA

नोट:-आवेदक ऑनलाइन की प्रिंट कॉपी तथा सभी संलग्न कागजातों की छायाप्रति जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कार्यालय, सिवान में ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करें।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति का होगा।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, सिवान

PR- 003018 (Welfare) 2026-27

विस्तृत सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार